वाद सं0 57/2009–10 एवं रे0मि0 रिविजन वाद सं0 02/2010–11 दायर किया गया। इस पर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए निम्न न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि सर्वप्रथम धारा 06 के अन्तर्गत आवेदिका अर्थात् विपक्षी के दावों पर विचार किया जाय।

तत्पश्चात निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुना गया। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व प्रधान के जेष्ठ वंशज के परपोता दिनेश साह की पत्नी होने के नाते विपक्षी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। निम्न न्यायालय में विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्ति के विरूद्ध 16/– रैयतों की ओर से किसी प्रकार का आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। इस न्यायालय में विपक्षी का प्रधान पद के समर्थन में 16/– रैयतों द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन समर्पित किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी अंतिम प्रधान के जेष्ठ वंशज के परपोता के पत्नी है। आवेदक विपक्षी का देवर है। इनकी नियुक्ति के विरूद्ध में रैयतों की ओर से किसी प्रकार का आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। रे0मि0 रिविजन वाद सं0 57/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2015 में भी सर्वप्रथम धारा 06 के अन्तर्गत (आवेदिका) विपक्षी के दावों पर विचार किये जाने का आदेश पारित है। निम्न न्यायालय द्वारा उनके दावों पर विचार किया गया। चुँकि उनके विरूद्ध 16/– रैयतों के द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति दाखिल नहीं किया गया साथ ही इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उनकी नियुक्ति की गई है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Seen
D.N.Pd.
14.6.17

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 05/2017–18

गिरिश प्रसाद साह .....आवेदक

बनाम

नीलम देवी ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

23/05/2017 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 05/17–18 गिरिश प्रसाद साह बनाम् नीलम देवी एवं अन्य, मौजा अम्बा अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 186/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा अम्बा के अंतिम प्रधान तारनी प्रसाद साह थे। आवेदक और विपक्षी दोनों ही उनके वारिशान हैं। निम्न न्यायालय में प्रधान नियुक्ति हेतु सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0 57/2009–10 एवं रे0मि0 रिविजन वाद सं0 02/2010–11 दायर किया गया जिसपर उपायुक्त द्वारा निम्न न्यायालय को धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति हेतु आदेश दिया गया। उनका यह भी कहना है कि आवेदक पूर्व प्रधान के नजदीकी पुरूष वारिशान है जबकि विपक्षी आवेदक के भाई की पत्नी है इसलिये आवेदक का दावा प्रधान पद पर विपक्षी से ज्यादा बनता है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी नीलम देवी अंतिम प्रधान के वंशज दिनेश साह की पत्नी है जो पढ़ी–लिखी है। अतः प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सही है। आवेदक को उपायुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील में जाना चाहिए था।

विपक्षी सं0 02 मिथलेश साह का कहना है कि मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु रैयतों की भी सहमति जरूरी है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही नहीं है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय में दिनांक 16.12.2005 एवं दिनांक 15.02.2010 द्वारा सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत कारवाई हेतु आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रे0मि0 रिविजन